Seventeenth Series, Vol. XIX No. 6

Monday, July 25, 2022
Sravana 3, 1944 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Ninth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIX contains Nos.1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Vinay Kumar Mohan

Joint Secretary

Mahavir Singh

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Arora

Joint Director

Maneesha Bhushan

Assistant Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XIX, Ninth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 6, Monday, July 25, 2022/ Sravana 3, 1944 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
FELICITATIONS BY THE SPEAKER	
(i) Congratulations to Shri Neeraj Chopra for winning India's first ever Silver Medal in World Athletics Championship in Javelin Throw	9
(ii) Congratulations to Shrimati Droupadi Murmu for taking oath as President of India	9
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 101 to 103	10-19
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 104 to 120	20-79
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	80-780

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 781-803

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Statements 804-805

STATEMENTS BY MINISTER 806-807

(i) (a) Status of implementation of recommendations contained in the 280th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 270th Report of the Committee on 'Development of Tourism in Jammu and Kashmir' pertaining to the Ministry of Tourism 806

(b) Status of implementation of recommendations contained in the 295th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on "Potential of Tourist Spots in the Country - Connectivity and Outreach" pertaining to the Ministry of Tourism 807

(c) Status of implementation of recommendations contained in the 306th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action taken by the Government on the recommendations/ observations contained in the 295th Report of the Committee on 'Potential of Tourist Spots in the Country - Connectivity and Outreach' pertaining to the Ministry of Tourism

Adv. Ajay Bhatt 807

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Board of Archaeology 808

MATTERS UNDER RULE 377 810-834

(i) Need to shift FCI godown in Mahesana Parliamentary Constituency

Shrimati Sharda Anil Patel 810

(ii) Need to appoint teaching and non-teaching staff in Eklavya Model Residential Schools

Shri Arjunlal Meena 811

(iii) Regarding stoppage of trains at various railway stations in Hoshangabad Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Uday Pratap Singh 812

(iv) Need to confer Bharat Ratna Award on Jan Nayak Karpoori Thakur

Shri Chhedi Paswan 813

(v) Regarding establishment of a national level sports college and sports infrastructure under Khelo India Scheme in Gulbarga Parliamentary Constituency

Dr. Umesh G. Jadav 814

(vi) Regarding Universal Blood Donation Card

Shri Tirath Singh Rawat 815

(vii) Regarding grant of Parja Patta land rights to tea and cinchona garden workers

Shri Raju Bista 816

(viii) Regarding assistance to farmers distressed due to scanty rains in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

Shri Sunil Kumar Singh 817

(ix) Regarding setting up of a Navodaya Vidyalaya in Tharad in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Parbatbhai Savabhai Patel 818

(x) Regarding expeditious construction of railway flyovers in Anand Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Mitesh Patel (Bakabhai) 819

(xi) Regarding implementation of 'Jal Jeevan Mission' in Chhattisgarh

Shri Arun Sao 820

(xii) Need to provide benefits of PM Awas Yojana and Saubhagya Yojana to village panchayats in Sidhi Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shrimati Riti Pathak 821

(xiii) Regarding compensation to farmers distressed due to scanty rain in Uttar Pradesh

Shri Jagdambika Pal 822

(xiv) Need to establish an All India Institute of Speech and Hearing in Kanpur Nagar district, Uttar Pradesh

Shri Devendra Singh 'Bhole' 823-824

(xv) Regarding rejuvenation of East Coast Canal

Shri Pratap Chandra Sarangi 825-826

(xvi) Regarding alleged irregularities in allotment of coal blocks

Shri Komati Reddy Venkat Reddy 827

(xvii) Regarding age relaxation for recruitment in Army

Shrimati Aparupa Poddar 828

(xviii) Regarding increase in wages and work days under MGNREGS in Bihar

Shri Kaushlendra Kumar 829

(xix) Regarding implementation of Bharatmala Pariyojana in Bhadrak Parliamentary Constituency

Shrimati Manjulata Mandal 830

(xx) Regarding Corona related deaths in Bihar

Shri Chandan Singh 831

(xxi) Regarding writing off bad loans

Dr. A. Chellakumar 832

(xxii) Regarding Nemom Coaching/Satellite Terminal Project

Dr. Shashi Tharoor 833

(xxiii) Need to accord the status of classical language to Marathi

Shri Shriniwas Dadasaheb Patil 834

SUSPENSION OF MEMBERS FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374 (2) 835

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS 836-837

*__ANNEXURE – I__

Member-wise Index to Starred Questions 816

Member-wise Index to Unstarred Questions 817-823

__*ANNEXURE – II__

Ministry-wise Index to Starred Questions 824

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 825

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 25, 2022/ Sravana 3, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Fourteen of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

FELICITATIONS BY THE SPEAKER

(i) Congratulations to Shri Neeraj Chopra for winning India's first ever Silver Medal in World Athletics Championship in Javelin Throw

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि श्री नीरज चोपड़ा जी ने विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीतकर एक महान उपलब्धि हासिल की है। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में किसी भारतीय एथलीट द्वारा जीता गया यह पहला रजत पदक है। इस जीत से पूरे देश में उत्साह तथा उमंग का वातावरण है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से श्री नीरज चोपड़ा जी को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री नीरज चोपड़ा जी की यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत के युवाओं के लिए अत्यंत प्रेरक सिद्ध होगी।

(ii) Congratulations to Shrimati Droupadi Murmu for taking oath as President of India

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, हम सब देशवासियों को गर्व है कि आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने शपथ ग्रहण की है। इससे देश में समाज के सभी तबकों के अंदर नई ऊर्जा, संचार एवं नया उल्लास है। इससे हमारे जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े वर्ग एवं समाज के सभी वर्गों में उत्साह है। मैं सदन की ओर से भी उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

14.03 ½ hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-101, श्रीमती रीती पाठक जी।

… (व्यवधान)

14.04 hrs

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

(Q. 101)

श्रीमती रीती पाठक: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश विश्व की पुरातन सभ्यता में विकसित हुआ है। … (व्यवधान) चाहे वह जीवन सभ्यता हो, भाषा या लिपि हो, रचना या धर्म ग्रंथ हो, स्मारक, धर्मस्थल, परम्परा हो या देश के अलग-अलग क्षेत्रों में वर्गों की जीवन शैली हो, ये हमारी अमूल्य धरोहर है। लेकिन, आधुनिकीकरण की इस चकाचौंध और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति युवाओं के आकर्षण को देखते हुए हमें ऐसी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। … (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में अभूतपूर्व काम किया है।…(व्यवधान) 'नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलेपमेंट एंड आगुमेन्टेशन योजना', 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन योजना' इसका जीवंत उदाहरण है।…(व्यवधान) लेकिन सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करने के लिए भारतीय विरासत संस्थान और विरासत पाठ्यक्रम की हमें अत्यंत आवश्यकता है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय संस्कृति मंत्री महोदय जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या हमारी सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना की है? …(व्यवधान) अगर की है,

तो इस संस्थान के द्वारा किए जाने वाले कार्य और इसका पाठ्यक्रम क्या है? इसके साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र में इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी?...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी ने जो प्रश्न पूछा है, वह भारतीय संस्कृति को प्रमोट करने से संबंधित है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा हुई थी, जिसके आधार पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की गई है।...(व्यवधान) इसके पहले नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट इस काम को देखा करती थी, लेकिन वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के बाद हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना की है। उसके तहत तीन तरह के कोर्सेज़ आयोजित किए जाते हैं।...(व्यवधान) हिस्ट्री ऑफ आर्ट में कोर्सेज़ आयोजित किए जाते हैं। म्यूजियोलॉजी में कोर्सेज़ आयोजित किए जाते हैं। कंजर्वेशन में कोर्सेज़ आयोजित किए जाते है।...(व्यवधान) ये सर्टिफिकेट कोर्सेज़ भी हैं, पीएचडी भी होती है, इसमें डिग्री भी दी जाती है।...(व्यवधान)

जहां तक माननीय सदस्या ने कहा है कि उनके क्षेत्र में ऐसे इंस्टीट्यूट कब तक खोलने का विचार है, नेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूट खोला गया है।...(व्यवधान) एक तरह से इसका जो प्रभाव पड़ेगा, वह पूरे क्षेत्र में पड़ेगा और माननीय सदस्या के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव पड़ेगा।...(व्यवधान) वहां के भी कुछ स्टुडेन्ट्स हैं। वे म्यूजियोलॉजी, कंजर्वेशन और सर्टिफिकेट कोर्सेज़ में हैं, आईजीएनसीए, एएसआई, एनआरएलसी, स्कूल ऑफ आर्काइवल स्टडीज़, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में जो सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं कि उनका लाभ माननीय सदस्या के क्षेत्र को भी मिलेगा।...(व्यवधान)

श्रीमती रीती पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ ही साथ एक और विषय पर बात करना चाहती हूं। मंत्री महोदय जी, मुझे यह भी बताने की कृपा करें कि संग्रहालय विज्ञान के क्षेत्र में क्या मानव

संसाधन की कमी है? यदि है, तो इसको आगे विस्तार से व्यवस्थित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने प्रश्न किया है कि संस्कृति के बचाव या हेरिटेज सेक्टर में क्या मानव संसाधन की कमी है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है।...(व्यवधान) न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर/एजुकेशनल लेवल पर कल्चर को प्रिज्योर करने का प्रयास किया जाएगा।...(व्यवधान) इसलिए आगे आने वाले समय में कहीं पर भी कोई मानव संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप जिस विषय पर चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, सरकार उस विषय पर चर्चा करने को तैयार है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप सदन के अंदर तख्तियां लाना छोड दें। नहीं तो, मेरे पास सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सभी अपनी-अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए। सरकार चर्चा करने को तैयार है। जाइए, जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। मैं चर्चा कराता हूं। आप लोग जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप यहां पर तख्तियां दिखाने या नारेबाजी करने आए हैं, या फिर चर्चा करने के लिए आए हैं? आप चर्चा कीजिए। यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है। आपका यह तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE: Sir, Jirat in Hooghly district under Balagarh Assembly is the birth place of Dr. Shayama Praad Mukherjee. …(*Interruptions*) Presently, this place is in dilapidated condition.… (*Interruptions*) The State Government has not taken any steps to preserve this historical place … (*Interruptions*) My question is what steps are being taken by the Central Government to preserve Shyama Prasad Mukherjee's original house. … (*Interruptions*)

People in this area have long been demanding the construction of a building named after Shyama Prasad Mukherjee where common readers can learn about Shyama Prasad Mukherjee's principles, ideals, and Indian history.

So, I would like to know whether the Government has taken any action in this regard; if so, what is the plan? … (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।… **(**व्यवधान**)** माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह मूल प्रश्न से सीधा संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं।… (व्यवधान) उनसे जुड़ी हुई यादें और उनसे जुड़े हुए स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।… (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो भावना प्रकट की है, उसके लिए मैं इनसे इसके बारे में चर्चा कर लूंगा और उनके जो सुझाव होंगे, उनके आधार पर हम मंत्रालय की तरफ से कार्रवाई

करेंगे।... (व्यवधान) हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई यादें या उनके स्थानों के संरक्षण का कार्य करने का प्रयास करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मारगनी भरत - उपस्थिति नहीं।

श्री रितेश पाण्डेय - उपस्थिति नहीं।

श्री मलूक नागर.

... (व्यवधान)

श्री मलूक नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हस्तिनापुर भी अयोध्या की तरह ही है।... (व्यवधान) वहां के लिए जो बजट आपने दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।... (व्यवधान) आप उस बजट को आगे भविष्य में बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? इसके अलावा हरिद्वार से कावड़िए कावड़ लेकर चल रहे हैं, जो कि कल-परसों तक के लिए एक बहुत ही ज्वलंत और जरूरी मुद्दा है, चूँकि यह सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं इसे मेन्शन करना चाहता हूँ।... (व्यवधान) जौली से लेकर किठौर तक नहर के किनारे-किनारे सड़क बहुत खराब है, जिससे कावड़ियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं इसलिए इस विषय पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, यह मेरठ जिले के हस्तिनापुर से संबंधित है। हस्तिनापुर में काफी काम हुआ है और मैं माननीय सदस्य को यह अवगत करवाना चाहता हूँ कि हम वहां पर जल्दी ही विजिट करेंगे और आपके जो भी सुझाव होंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे।... (व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी: अध्यक्ष महोदय, बिहार को भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है।... (व्यवधान) माता सीता जी की प्राकट्य स्थली से लेकर चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, बाबू कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद एवं रामधारी सिंह दिनकर जी सहित न जाने कितनी विभूतियों को यहां की मिट्टी ने जन्म दिया है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पटल पर

आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।… (व्यवधान) इनसे जुड़ी एवं पुरातत्व महत्व की वस्तुएं तथा अवशेष बिहार के कई जिलों में अब भी विद्यमान हैं।… (व्यवधान) मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि सरकार इनके संरक्षण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर क्या बिहार की ऐतिहासिक धरती पर भी कोई भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का विचार रखती है? … (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह इससे सीधा संबंधित नहीं है।… (व्यवधान) चूँकि मैंने पहले ही कहा है कि इंडियन इंस्टिटयूट ऑफ हेरिटेज ऑल इंडिया लेवल पर काम करता है।… (व्यवधान) यह बिहार के लिए भी काम करेगा और उत्तर प्रदेश के लिए भी काम करेगा।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गजानन कीर्तिकर - उपस्थित नहीं।

श्रीमती मंजुलता मंडल - उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

(Q. 102)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी): (क) से (ङ): अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ**.** आलोक कुमार सुमन **-** उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 103, सुश्री दिया कुमारी ।

(Q. 103)

SUSHRI DIYA KUMARI: Thank you Speaker, Sir. I would like to thank our visionary Prime Minister and Government for introducing the New Education Policy (NEP) and bringing in much-needed reform in the education sector. …(*Interruptions*)

As the hon. Minister pointed out in his answer, the National Accreditation Council (NAC) will be overseeing the process of accreditation under the NEP. …(*Interruptions*) This will indeed ensure that the process of accreditation is easier to comply with and more institutions can be formally recognised. …(*Interruptions*)

Sir, through you, I would like to ask the hon. Minister how the Government plans to provide certain safeguards to ensure that higher education institutions comply with the norms of self-governance and disclose relevant information in

order to maintain the standard and quality of education in the country. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि इस सदन की मर्यादा रखना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी माननीय सदस्य तख्ती लेकर आएगा, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, उसको सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनने देंगे। आप इसे सहृदयता मत समझिए। यह देश के लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी मर्यादा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र के अंदर सदन की जितनी मर्यादा रखेंगे, उतना ही सदन के प्रति और आपके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, लेकिन आपका तौर-तरीका ठीक नहीं है।

… (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

… (*Interruptions*)

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Speaker, Sir, the hon. Member has raised a good question. … (*Interruptions*) Our Government has started to think progressively on the National Education Policy since 2015. … (*Interruptions*) Even in 2017, the assessment was done based on qualitative metrics. In 2017, the revised accreditation framework was made along with the plan to improve the quality of all the institutions and colleges. … (*Interruptions*) In the National Education Policy, which has been launched under the dynamic leadership of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi, it is written in so many paras about accreditation and the quality of the institutions so that they can get autonomy. Suppose, there is an assessment. … (*Interruptions*) If they will get more than 3.01, they will get

the autonomy. In this way, our Government is much keen in giving autonomy to the educational institutions. NAAC has already involved seven criteria of framework. These are the curricular aspects; teaching, learning, and evaluation; research, innovation, and extension; infrastructure and learning resources; student support and progression; governance, leadership, and management; and institutional values and best practices. … (*Interruptions*) Even on 1st June, 2022, NAAC has launched the Unified Affiliated College Manual. This is very important. This will help all the colleges and universities. In this Manual, the number of metrics has been reduced from 96 to 55 without compromising on quality and gradually the participation is being more and more… (*Interruptions*)

SUSHRI DIYA KUMARI : I would like to thank the hon. Minister for replying to my question very extensively. … (*Interruptions*)

Also, after getting the accreditation, there should be some kind of monitoring mechanism in place. It is because many a time, after getting the accreditation, the colleges or the universities do not adhere to the standards and the kind of quality education they should be giving. … (*Interruptions*)

So, some kind of mechanism should be in place so that regular monitoring takes place to ensure that they adhere to the guidelines and the standards of good quality education that our Government wants to impart. … (*Interruptions*)

DR. SUBHAS SARKAR: Hon. Speaker Sir, it is a continuous process and at the same time, a process which requires self-evaluation. … (*Interruptions*) The NAAC also monitors the institutions. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं तीन बजे चर्चा शुरू करने के लिए तैयार हूं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आप तख्तियां और नारेबाजी करना चाहते हैं तो तीन बजे के बाद आपको तख्तियां और नारेबाजी करने का अधिकार इस सदन से बाहर मिलेगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : तीन बजे के बाद तख्तियां और नारे लगाने का अधिकार आपको सदन से बाहर मिलेगा। इस तरीके से सदन नहीं चल सकता है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : देश की जनता चाहती है कि सदन चले। इसलिए मेरा आग्रह है और मैं अंतिम बार आग्रह कर रहा हूं कि तीन बजे के बाद जो माननीय सदस्य आसन के सामने तख्तियां लाकर सदन की मर्यादा तोड़ना चाहते हैं, उनको तीन बजे के बाद पर्याप्त समय, पर्याप्त मौका सदन के बाहर मिलेगा। धन्यवाद।

… (व्यवधान)

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 104 to 120
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380)
(Page No. 26-780)

माननीय अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही तीन बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.22 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

15.01 hrs

The Lok Sabha reassembled at One Minute past Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

…(*Interruptions*)

15.01 ½ hrs

At this stage Kumari Ramya Haridas, Dr. Kalanidhi Veeraswamy, Adv. A.M. Ariff and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(*Interruptions*)

15.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर – 2. राव इंद्रजीत सिंह जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 241 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016:-

(i) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.081 in Gazette of India dated 5th April, 2022.

(ii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.082 in Gazette of India dated 28th April, 2022.

(iii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.084 in Gazette of India dated 14th June, 2022.

(iv) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Information Utilities) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.085 in Gazette of India dated 14th June, 2022.

(v) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Grievance and Complaint Handling Procedure) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.086 in Gazette of India dated 14th June, 2022.

(vi) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Inspection and Investigation) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.087 in Gazette of India dated 14th June, 2022.

(vii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.088 in Gazette of India dated 4th July, 2022.

(viii) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.089 in Gazette of India dated 4th July, 2022.

(ix) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2022 published in Notification No. IBBI/2022-23/GN/REG.090 in Gazette of India dated 6th July, 2022.

[Placed in Library, See No. LT 7186/17/22]

(2) A copy of the Nidhi (Amendment) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.301(E) in Gazette of India dated 19th April, 2022 under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013.

[Placed in Library, See No. LT 7187/17/22]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर – 3. श्री पंकज चौधरी जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): सभापति महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पहचानविहीन आयकर प्राधिकारियों का न्यायाधिकार क्षेत्र योजना, 2022 जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1400(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर वंचनीय आंकलन का ई-आंकलन योजना, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1466(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन योजना, 2022 जो 30 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1468(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2022 जो 04 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) ई-विवाद समाधान योजना, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठवां) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 307(अ) में प्रकाशित हुए थे और जिसका शुद्धिपत्र 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 09 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) पहचानविहीन शास्ति (संशोधन) योजना, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2425(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 2426(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 118(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 2735(अ) जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 05 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7188/17/22]

(2) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपाबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1440(अ) जो 29 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7189/17/22]

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (श्री जवाहर लाल दर्डा की जन्म-शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 317 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के 175 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 27 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 478 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का निर्माण (राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 04 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 508 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 7190/17/22]

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं.52/2003-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 278(अ) जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं.40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 501(अ) जो 01 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं.25/2021-सीमा शुल्क को संशोधित करना है ताकि भारत-मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार मॉरिशस से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में कर छूटों को सघन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 297(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से अस्थायी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 328(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के संबंध में प्रशुल्क छूट के पहले भाग को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 326(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 327(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा-शुल्क में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 376(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 378(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि इस्पात और प्लास्टिक उद्योग द्वारा प्रयुक्त

कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर आधारभूत सीमा-शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 379(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि एंथ्रेसाइट/कोकिंग कोल पर कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 380(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि और उद्ग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 381(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 392(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्रूड सूरजमुखी तेल और क्रूड सोयाबीन तेल, दोनों के लिए 20 एलएमटी प्रति वित्त वर्ष प्रति खाद्य तेल का वैश्विक प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) प्रदान करना है ताकि ऐसे आयातों को 25 मई, 2022 से प्रभावी 2 वर्षों की अवधि के लिए, जो वित्त वर्ष 2022-23 है, आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसरंचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 428(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि अन्तिम मेगा पावर स्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि 120 माह से 156 माह तक और प्रावधिक मेगा पावर परियोजनाओं के मामले में सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा की वैधता की अवधि को 126 माह से 162 माह तक विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 500(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम और क्रूड और एटीएफ को उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उद्ग्राह्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क, जो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के समकक्ष है, से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 486(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण पर बीसीडी दर को 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 487(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण आयात को समाज कल्याण अधिभार से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 488(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुनर्भरण योजना के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर प्रयोज्य बीसीडी छूट की दर को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.85 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 489(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-यूएई सीईपीए के टीआरक्यू के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर बीसीडी दर को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 509(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अक्तूबर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7191/17/22]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) संशोधन नियम, 2017 जो 23 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1442(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 491(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं.

05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 492(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 493(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची को संशोधित करके क्रूड पेट्रोलियम और एटीफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 494(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जिसका पिछले वित्त वर्ष में उक्त वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन 2 मिलियन बैरल से कम था, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 495(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा पिछले वित्त वर्ष में उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम से अतिरिक्त है, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 496(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल पर प्रयोज्य शुल्कों जैसे आधारभूत उत्पाद शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर तथा

एटीएफ पर आधारभूत उत्पाद शुल्क से, निर्यात के लिये क्लियर किये जाने पर, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 497(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एविएशन टर्बाइन ईंधन को पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने के मामले के अलावा, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 498(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, सड़क और अवसरंचना उपकर की दरें विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 499(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) को संशोधित करना है ताकि निर्यात के लिये क्लियर की गयी वस्तुओं के लिए उक्त अधिसूचना के उपबंधों को अपवर्जित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 377(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में लिए जा रहे सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त (5) की मद सं. (1) से (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 7192/17/22]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.246(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बांग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर दिनांक 05.01.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सी.शु.(एडीडी) द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 अगस्त, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.321(अ) जो 28 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "एन,एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडिमाइड (डीसीसी)" पर 27 अप्रैल, 2027 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.350(अ) जो 11 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 21/2017-सीमा-शुल्क(एडीडी) को निरस्त करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एमॉक्सीलीन, जिसे एमॉक्सीलीनट्राइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है पर एडीडी के उद्ग्रहण को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 374(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से ''पॉलीयूरेथेन लेदर जिसमें पॉलीयूरेथेन के

साथ एक तरफ या दोनों तरफ लेपित किसी भी प्रकार का कपड़ा शामिल है'', के आयात पर 19 मई, 2027 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 387(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ड्यूटी टेबल पर बदलाव के लिए 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है। उपरोक्त अधिसूचना के तहत चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''डेकोर पेपर'' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 388(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर'' 'के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 403(अ) जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य या थाईलैंड से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''1500 श्रेणी और 1700 श्रेणी के स्टाईरीन बुटेडाईन रबर (एसबीआर)'' के आयात पर 30 अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 31 अक्टूबर, 2022 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 406(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बंग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर 5 जनवरी, 2017

की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 30 नवम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 417(अ) जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क आगे जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.430(अ) जो 8 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "नये/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर्स, चाहे वे ट्यूब सहित हों या नहीं, और/या रबर फ्लैप (जिसमें ट्यूबलेस टायर्स भी शामिल हैं), जिनका नार्मल रिम डायाकोड 16" से अधिक हो, जो कि बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त होते हैं, के आयात पर 18 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 451(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'फ्लोरो बैकशीट', पारदर्शी को छोड़कर, पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 323(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित

"कॉपर ट्यूबों और पाइपों" के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 414(अ) जो 2 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क के कथित वंचन के संबंध में अपवंचन जांच के पूरा होने तक, थाईलैंड से भारत में निर्यात किए गए सैकरीन का अनंतिम निर्धारण करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7193/17/22]

(8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 236(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्ठों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 237(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्ठों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिये ईंटों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिये 3 प्रतिशत की रियायती दर का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 242(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्ठों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को

लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 10/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 243(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 354(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 355(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्यूआरएमपी योजना के अधीन आने वाले करदाताओं द्वारा अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में कर के भुगतान की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 397(अ) जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये 01.05.2022 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिये धारा 47 के अंतर्गत विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 3070(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 110 तथा

111 के खण्ड (ग) के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 513(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक विवरणी फाइल करने की आवश्यकता से 2 करोड़ रूपये तक के एएटीओ वाले करदाताओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 514(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31.07.2022 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 515(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 516(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट अनुपालनों की तिथियों को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 517(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (पहला संशोधन, 2022) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7194/17/22]

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 238(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 239(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईंटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 6% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7195/17/22]

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 240(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में

जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईंटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 3% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 244(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 02/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 7196/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI): Sir, I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Buddhist Confederation, New Delhi, for the year 2019-2020, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Buddhist Confederation, New Delhi,

for the year 2019-2020.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 7197/17/22]

… (*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री; **कोयला मंत्री तथा खान मंत्री** (**श्री प्रहलाद जोशी**): माननीय स्पीकर साहब ने बहुत नाराजगी प्रकट करते हुए कहा है कि यहां तख्तियां नहीं लाना है। अगर कोई तख्तियां लेकर आते हैं, तो उन लोगों पर ऐक्शन लिया जाएगा, ऐसा माननीय स्पीकर साहब ने कहा है।…(व्यवधान) फिर भी ये तख्तियां ला रहे हैं।…(व्यवधान) इसीलिए मैं आग्रह करता हूं कि जो माननीय स्पीकर साहब ने इस सदन में कहा है, माननीय स्पीकर साहब ने इस सदन में जो आदेश दिया है, उसका उल्लंघन हो रहा है।…(व्यवधान) It is a clear violation of the hon. Speaker's direction. I would urge you to take strict action against the hon. Members who are bringing the placards in the House. This is my request to you, Sir. … (*Interruptions*)

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्रीमती अन्नपुर्णा देवी**): सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता सन्नियम और पद्यति) संशोधन विनियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनसीईटी-रेग/012/13/202-रेग.सेक.-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[Placed in Library, See No. LT 7198/17/22]

15.03 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Statements

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं :

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण |

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और

अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

15.04 hrs

STATEMENTS BY MINISTER

(i) (a) Status of implementation of recommendations contained in the 280th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 270th Report of the Committee on 'Development of Tourism in Jammu and Kashmir' pertaining to the Ministry of Tourism*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7183/17/22

(b) Status of implementation of recommendations contained in the 295th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on "Potential of Tourist Spots in the Country - Connectivity and Outreach" pertaining to the Ministry of Tourism*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(c) Status of implementation of recommendations contained in the 306th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Action taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 295th Report of the Committee on 'Potential of Tourist Spots in the Country - Connectivity and Outreach' pertaining to the Ministry of Tourism*

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य देता हूं :

पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता- कनेक्टिविटी और पहुंच के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 7184/17/22 and 7185/17/22 respectively.

15.05 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Board of Archaeology

THE MINISTER OF CULTURE, MINISTER OF TOURISM AND MINISTER OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI G. KISHAN REDDY): Respected Chairman, Sir, with your permission, I beg to move the following:-

> "That in pursuance of the provision in paragraph 9 of the Government of India, Archaeological Survey of India, Resolution No.T-17019/7/2019-EE dated 19 May, 2022, the Members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two Members from amongst themselves to serve as members of the Central Advisory Board of Archaeology, subject to the other provisions of the said Resolution." *....(Interruptions)*

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प सं. टी-17019/7/2019-ईई, दिनांक 19 मई, 2022 के पैराग्राफ 9 के उपबंध के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : माननीय स्पीकर महोदय ने कुछ कहा है, कृपया उसका संज्ञान लीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग अपनी-अपनी सीट पर वापस जाइए। Please, co-operate with the chair.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपके सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। माननीय स्पीकर महोदय ने आप लोगों को बार-बार आश्वस्त किया है।

… (व्यवधान)

15.07 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Item no.9 - Matters Under Rule 377.

Shrimati Sharda Anil Patel.

(i) Need to shift FCI godowns in Mahesana Parliamentary Constituency

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): माननीय सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महेसाणा में मोढेरा सर्किल से देदियासन जाने वाले सड़क पर एफसीआई का मुख्य गोदाम है। गोदाम से हर रोज गांधीनगर, पाटन और महेसाणा जैसे बड़े जिलों को बड़ी मात्रा में अनाज जाता है, जो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत गरीब लोगों को मुफ्त राशन बांटने के लिए इस्तेमाल होता है। यह गोदाम पुराना है। शहर का तेजी से विकास होने की वजह से यह गोदाम अब शहर के बीच आ गया है। यह इलाका आवासीय और औधोगिक क्षेत्र है। यह शहर की मुख्य सड़क होने की वजह से इस पर बहुत यातायात रहता है और यह गोदाम इसी सड़क पर है। इसलिए हर रोज सुबह से शाम गोदाम से अनाज लेने और अनाज का स्टॉक करने के लिए इस सड़क पर ट्रकों की लम्बी लाइनें लग जाती हैं। रोड पर ट्रकों की वजह से कई बार अनहोनी होने की आशंका के चलते विस्तार के लोगों को हमेशा डर लगा रहता है। सड़क के आस-पास के छोटे व्यापारी और नौकरी करने वालों को यातायात से काफी परेशानियाँ होती है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि महेसाणा में स्थित FCI गोदाम का स्थान बदल कर इसे शहर से बाहर ले जाया जाये और उसके लिए आवश्यक कदम उठाएं जाए।

माननीय सभापति : श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल ।

… (व्यवधान)

(ii) Need to appoint teaching and non-teaching staff in Eklavya Model Residential Schools

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदय, मैं राजस्थान के उदयपुर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और भारत सरकार के शेड्यूल-5 में आता है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों, ईएमआरएस की योजना पर अकल्पनीय कार्य किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र उदयपुर में झाड़ोल, लसाडिया, धरियावाद, सलूम्बर, खैरवाड़ा, गोगुंदा में एकलव्य आदर्श विद्यालय खोले गए।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से देश में नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों जैसे प्रिंसिपल, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी लगे हुए हैं, उसी तर्ज पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में भी केंद्रीय कर्मचारियों की भर्ती की जाए न कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की क्योंकि इस योजना में शत-प्रतिशत राशि भारत सरकार खर्च कर रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा पढ़ाए गए बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी और देश की मुख्यधारा से जुड़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।

(iii) Regarding stoppage of trains at various railway stations in Hoshangabad Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में रेलवे से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुख्य विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

1. कोरोना काल के पूर्व खिरकिया सहित आसपास के सभी रेलवे स्टेशनों पर नागपुर-भुसावल सुपरफास्ट ट्रेन का स्टापेज था, लेकिन कोविड के बाद एवं क्षेत्रीय जनों की लगातार मांग करने के बाद भी अब तक इसका पुन: आवागमन शुरू नहीं किया गया।
2. 22191/22192 जबलपुर-इंदौर ओवरनाइट एक्सप्रेस का स्टापेज करेली स्टेशन पर किए जाने के संबंध में अनुरोध है।
3. 11071/11072 कामायनी एक्सप्रेस का स्टापेज (बनापुरा) सिवनी मालवा स्टेशन पर किए जाने के संबंध में।
4. 11273/11274 इटारसी से कटनी शटल एक्सप्रेस को कोविड काल में बंद कर दिया है, जिसे इटारसी से पुन: प्रारम्भ किए जाने के संबंध में अनुरोध है।

(iv) Need to confer Bharat Ratna Award on Jan Nayak Karpoori Thakur

श्री छेदी पासवान (सासाराम): सभापति महोदय, बिहार के ग्यारहवें मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर आजीवन समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संघर्षरत रहे। ग्रामीण पृष्ठ भूमि से आने वाले महान सपूत ने सामाजिक न्याय के लिए शासन के माध्यम से कई सफल प्रयोग किए। अपनी कालेज की पढ़ाई को छोड़कर वे 'अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन' में कूद पड़े और 26 माह तक उन्हें जेल यातना दी गई। स्वतंत्र भारत में भी टेल्को कामगारों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें जेल यातना दी गई। जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्पूर्ण क्रांति के अग्रणी सेनानी, महान समाजवादी चिंतक एवं गुदड़ी के लाल थे। एक ईमानदार शासक के रूप में उनकी प्रसिद्धि प्रेरणादायक है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने मैट्रिक के पाठ्यक्रम से अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को समाप्त किया, जिससे बिहार के ग्रामीण पृष्ठभूमि के वंचित वर्ग के छात्र न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल कर सकें और आगे उन्हें आरक्षण के माध्यम से लोक सेवाओं में भागीदार बनाएं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर सरीखे अप्रतिम राजनेता, पारदर्शी एवं ईमानदार व्यक्तिव के मुख्यमंत्री की रिक्ति को नहीं भरा जा सकता। अत: मेरा विशेष अनुरोध है कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को उचित सम्मान देने एवं उनकी स्मृतियों को ताजा रखने हेतु उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से शीघ्र विभूषित किया जाए।

(v) Regarding establishment of a national level sports college and sports infrastructure under Khelo India Scheme in Gulbarga Parliamentary Constituency

DR. UMESH G. JADAV (GULBARGA): Kalaburagi being the division headquarters and the fastest emerging educational hub, nearby district like Yadagir and Bidar students choose Kalaburagi as their centre for higher study. Kalaburagi has two Universities and is the centre of the only Central University of Karnataka. Kalaburagi also has three engineering colleges, a Government Medical College, ESIC Medical College, a Private Medical college, a Fine Arts College, several pharmacy colleges and degree colleges. But all the above institutions lack sports centre with the importance and benefits of sports education in Kalaburagi being highly felt, the establishment of a sports college in Kalaburagi is in great demand. Therefore, it is requested to establish a National Level Sports College in Kalaburagi for the benefit of the people of Hyderabad Karnataka Region along with that there is a dire need for the construction of 300 bedded residential hostel for boys and girls Separately.

Below are the few demands which are pertaining to my constituency under Khelo India:

1. Construction of international standard hockey turf court to promote hockey in this region.
2. Construction of international standard multipurpose indoor games hall to organize game like kabbadi, kho kho, volleyball, throwball, basketball.
3. Construction of public gallery for this court.

माननीय सभापति: श्री धर्मवीर जी- उपस्थित नहीं।

(vi) Regarding Universal Blood Donation Card

श्री तीरथ सिंह रावत (गढ़वाल): माननीय सभापति जी, जैसा कि आप जानते हैं कि मानव शरीर के लिए खून कितना आवश्यक है। इसकी किसी भी कारण से होने वाली कमी हमारे जीवन के लिए खतरा पैदा करती है। … (व्यवधान) प्रत्येक हॉस्पिटल में इसकी निरंतर मांग रहती है, विशेषकर ट्रॉमा सेंटर, ऑपरेशन थियेटर और डायलिसिस में। जब भी किसी रोगी को इसकी आवश्यकता होती है तो हॉस्पिटल की ओर से इसकी मांग की जाती है और रोगी के परिजन ब्लड डोनेट करते हैं। देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वेच्छा से ब्लड डोनेट करते हैं किन्तु जब वे अपने कार्ड को आवश्यकता पड़ने पर उपयोग करना चाहते हैं तो अनेक हॉस्पिटल यह कह कर उसे स्वीकार नहीं करते हैं कि यह कार्ड उनके यहां का नहीं है। … (व्यवधान) ऐसे में रोगी के परिजनों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वह ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों को एक यूनिवर्सल ब्लड डोनेशन कार्ड जारी करे जो प्रत्येक हॉस्पिटल एवं देश के प्रत्येक कोने में मान्य एवं स्वीकार्य हो तथा इसे लागू कराने हेतु सख्त नियम बनाएं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : श्री राजू बिष्ट जी,

… (व्यवधान)

श्री राजू बिष्ट (**दार्जिलिंग**): धन्यवाद सर। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)

(vii) Regarding grant of Parja Patta land rights to tea and cinchona garden workers

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): The 171st report of the Parliamentary Standing Committee on Commerce, titled "Issues Affecting the Indian Tea Industry especially in the Darjeeling region" has found serious problems afflicting the tea industry in the Darjeeling hills, Terai and Dooars region major among them being the denial of Parja Patta land rights for the workers, who have toiled in these gardens for generations. I quote "The Committee is dismayed to note the plight and deprivation of the tea workers. It is deplorable to note the feudalistic set up in the region to alienate tea workers from their basic land rights despite seven decades of independence." I further quote from the report, "the perpetual struggle of tea workers to seek rights for their own lands not only for living but even for burying their dead family members is unfortunate and saddening."

The committee has therefore recommended that "a specific legislation needs to be enacted which recognizes the rights and ownership of small and marginalized tea workers to their ancestral lands and resources."

I am, therefore, requesting the Union Govt. to enact a law which will guarantee Parja Patta on the lines of Forest Rights Act (2006) to ensure justice for tea and cinchona garden workers.

(viii) Regarding assistance to farmers distressed due to scanty rains in Chatra Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): महोदय, वर्तमान हालात में झारखण्ड राज्य में सुखाड़ की स्थिति बन गई है। पिछले 10 साल में जुलाई माह में सबसे कम बारिश इस बार हुई है, मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 17 जिलों में सामान्य से 50 प्रतिशत से भी कम बारिश हुई है। पूरे राज्य में भी सामान्य से करीब 51 प्रतिशत कम बारिश हुई है। राज्य में अब तक 391 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, इसकी तुलना में मात्र 192.9 मिमी ही बारिश हुई है। एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इस कारण धान के बिचड़े पर संकट है। कहीं-कहीं छुटपुट रोपाई शुरू हई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के चतरा, लातेहार व पलामू जिलों से किसी में भी अब तक रोपाई शुरू नहीं हो पायी है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ रही हैं। सबसे खराब स्थिति मेरे लोक सभा क्षेत्र के जिलों चतरा, लातेहार, पलामू तथा अन्य जिलों हजारीबाग, गढ़वा, रामगढ, देवघर, गुमला, कोडरमा, गोड्डा, लोहरदगा तथा जामताड़ा आदि जिले की है।

मेरी आपके माध्यम से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से मांग है कि केन्द्रीय स्तर व राज्य स्तर से टीम भेजकर प्रत्येक जिले की सुखाड़ की स्थिति का आंकलन किया जाये तथा तत्काल किसानों को राहत प्रदान करने के लिए विशेष सहायता व वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए तैयारी करवाई जाये। किसानों को फसल बीमा का लाभ, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, बीज वितरण, बुआई यंत्र उपलब्ध कराना तथा सिंचाई की वैकल्पिक सुविधा जैसे सोलर वाटर पम्प, लम्बित सिंचाई योजनाओं से खेती के लिए जलापूर्ति, स्थानीय नदियों के पानी को खेती के लिए उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कार्य योजना लागू करें। धन्यवाद।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, बहुत महत्वपूर्ण विषय माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप कृपया उन्हें सुनें। अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

श्री परबतभाई पटेल जी।

… (व्यवधान)

(ix) Regarding setting up of a Navodaya Vidyalaya in Tharad in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बनासकांठा गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जिला है । इस जिले में 14 तहसील हैं और नवोदय विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि गुजरात में नवोदय विद्यालय संसाधनों के मामले में बेहतर स्थिति में है। इसलिए मेरे मत क्षेत्र के निवासी मुझसे निरंतर मांग करते रहते हैं कि जिले में एक और नवोदय विद्यालय खुलवा दिया जाये ।

महोदय, ज्ञात हो कि अभी मेरे संसदीय क्षेत्र में केवल एक नवोदय विद्यालय है और जिला बड़ा होने की वजह से एक बड़ा वर्ग नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह रहा है। इसलिए मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि पहले से स्थित नवोदय विद्यालय जो दांतीवाडा में है, वो थराद से 100 किमी की दूरी पर है। यदि थराद में नवोदय विद्यालय खोला जाये तो सरहदी क्षेत्र के निवासियों के बच्चों और यहाँ के किसानों के बच्चों को नवोदय विद्यालय का उचित लाभ मिल सकेगा।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के थराद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना शीघ्र करवाई जाये जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र आगे बढे और यहाँ के विद्यार्थियों को उचित लाभ मिल सके। धन्यवाद।

(x) Regarding expeditious construction of railway flyovers in Anand Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): महोदय, जनहित की दृष्टि से मेरे मत विस्तार आनंद (गुजरात) में उमरेठ तालुका अंतर्गत आनंद-गोधरा रेलवे लाइन पर भालेज चौराहा रेलवे फ्लाईओवर, पेटलाद तालुका में पेटलाद फ्लाईओवर और आनंद तालुका अंतर्गत समारखा फ्लाईओवर आनंद लोकसभा क्षेत्र की जनता के लिए यातायात सुविधा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भालेज चौराहा रेलवे फ्लाईओवर बनना वर्ष 2018 में शुरू हुआ, पर 1 से 2 दिन में ही बंद हो गया और अभी तक शुरू नहीं हो पाया। पेटलाद फ्लाईओवर आधा बनकर वर्षों से बंद है, काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। समारखा चौराहा फ्लाईओवर के निर्माण हेतु आवश्यक प्रक्रिया शुरू करने हेतु संबंधित अधिकारी को आदेशित करने की आवश्यकता है। अगर ये तीनों ही फ्लाईओवर बन जाते हैं तो मेरे मत विस्तार आनंद में ट्रैफिक की सुविधा जहां सुचारु होगी, वहीं जाम जैसी समस्याओं के निराकरण में गेम चेंजर साबित होंगे।

मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह है कि तीनों फ्लाईओवर के निर्माण हेतु व्यक्तिगत रूप से संबंधित अधिकारियों को आदेश देने की कृपा करें। … (व्यवधान)

(xi) Regarding implementation of 'Jal Jeevan Mission' in Chhattisgarh

श्री अरुण साव (बिलासपुर): महोदय, आपने मुझे नियम 377 के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण लोक महत्व का विषय उठाने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में शुद्ध पेयजल पहुँचाने की अति महत्वाकांक्षी योजना लागू की है। छत्तीसगढ़ में इस योजना का क्रियान्वयन अपेक्षित गति से नहीं चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य योजना के क्रियान्वयन में अत्यंत पिछड़ा हुआ है तथा काम भी अत्यंत गुणवत्ता विहीन है।

अतः मैं आपके माध्यम से जलशक्ति मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस विषय पर जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करें। … (व्यवधान)

(xii) Need to provide benefits of PM Awas Yojana and Saubhagya Yojana to village panchayats in Sidhi Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी (मध्य प्रदेश) के कुसमी के अंतर्गत ग्राम पंचायत मझिगवा, भदौरा व रूंदा जो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है, इनके विस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी, 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई एवं 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई। किन्तु उचित मुआवजा राशि न मिलने के कारण ग्रामीणजन विस्थापित होने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि वर्षों से उन्होंने इस गाँव में बहुत कुछ बनाया है– पेड़, वृक्ष, घर आदि परंतु इस राशि से कहीं जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती। शासन की कुछ योजनाओं का लाभ तो ग्रामवासियों को मिल रहा है परंतु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएँ प्रधानमंत्री आवास व सौभाग्य योजना का लाभ नही मिल पा रहा है। ये तीनों पंचायतें आज भी विद्युत विहीन हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना तो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है, किन्तु इन योजनाओं से विस्थापित पंचायतों के निवासी वंचित हैं। मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों में पुनः मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करें।… (व्यवधान)

(xiii) Regarding compensation to farmers distressed due to scanty rain in Uttar Pradesh

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, उत्तर प्रदेश में इस वर्ष अभी तक बहुत कम बारिश होने के कारण भयंकर सूखा पड़ गया है। किसानों के समक्ष खरीफ की फसल की रोपाई का गंभीर संकट पैदा हो गया है। बारिश न होने के कारण किसानों के खेत-खलिहान और जमीन सूख गए हैं। किसान धान की नर्सरी तैयार करने के लिए पंपिंग-सेट एवं ट्यूबवेल से खेत को भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन बारिश ना होने के कारण नर्सरी के पौधे पीले पड़ गए हैं। प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेल एवं नहरों को पूरी क्षमता से चलाने का निर्देश दिया है, लेकिन वह नाकाफी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में 1 जून से 15 जुलाई के बीच कुल 77.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अब तक सामान्य बारिश 220 मिलीमीटर होनी चाहिए थी। अत: इस अवधि के सापेक्ष 65 पर्सेंट कम है, आईएमडी की भाषा में 60 पर्सेंट से 99 पर्सेंट कम वर्षा को “बड़ी कमी” अर्थात भयंकर सूखा की श्रेणी में माना जाता है। आईएमडी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में 243.5 (-68%) के मुकाबले मानसून मौसम के पहले तीन पखवाड़े के दौरान सिर्फ 77.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 187.1 मिलीमीटर (-59%) के सामान्य के मुकाबले 77.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बारिश न होने के कारण किसानों की खरीफ के धान की फसल की बुआई बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसके कारण उनके समक्ष धान के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बारिश ना होने से सूखे के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय अध्ययन दल की टीम को भेजने की मांग करता हूँ, जिससे केंद्रीय अध्ययन दल किसानों को हुए नुकसान का आकलन कर के उन्हें उचित मुआवज़ा दिलाने का कार्य सुनिश्चित करे।

(xiv) Need to establish an All India Institute of Speech and Hearing in Kanpur Nagar district, Uttar Pradesh

श्री देवेन्द्र सिंह 'भोले' (अकबरपुर): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन और सरकार का ध्यान देश एवं प्रदेश के लिए दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।… (व्यवधान)

महोदय, मूक बधिरों एवं दिव्यांगजनों के इलाज की कोई उचित व्यवस्था प्रदेश एवं देश में नही है जिसके कारण न जाने कितने दिव्यांग आज भी अपनी दिव्यांगता को कोसते एवं लाचारी के कारण बेहतर जिंदगी को तरसते हैं।… (व्यवधान) प्रदेश में दिव्यांगजनों की ऐसी दशा को देखते हुए मैंने माननीय मंत्री जी से आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना कराए जाने हेतु आग्रह किया था।… (व्यवधान) मेरे आग्रह के पूर्व से उक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा जनपद कानपुर नगर में 12वीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एण्ड हियरिंग सेण्टर की स्थापना हेतु 20 एकड़ नि:शुल्क भूमि की मांग की गयी थी, जिस पर अपर जिलाधिकारी द्वारा ग्राम सुरार में 20 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराये जाने की संस्तुति प्रदान की गयी थी।… (व्यवधान) तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर, ने उक्त के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन , लखनऊ को अवगत कराया किन्तु उक्त प्रकरण में प्रदेश सरकार के सुस्त रवैये के चलते सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुनः अपने पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से पुनः अनुरोध किया, जिस पर कार्यवाही कर तत्कालीन जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा भूमि स्थानांतरित किये जाने हेतु स्पष्टीकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा को दिनांक 13.03.2018 को अपने पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जा चुका है एवं औपचारिकताओं के सम्बन्ध में उप सचिव, चिकित्सा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिलाधिकारी कानपुर को अपने पत्र दिनांक 30.08.2018 के माध्यम से आदेशित किया था जिस पर जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर एवं रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को अपने पत्र दिनांक 11.01.2019 के द्वारा अवगत कराया जा चुका

है।... (व्यवधान) तत्पश्चात् उक्त प्रकरण में कार्यवाही अत्यधिक धीमी गति से होने के कारण लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो गया जिसके चलते उक्त ऑफ कैम्पस सेण्टर की निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश के मूक बधिरों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।... (व्यवधान) कुपोषण एवं अन्य परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश के मूक-बधिरों की भारी संख्या को देखते हुए केन्द्र की स्थापना की महती आवश्यकता है।... (व्यवधान)

अतः आपसे निवेदन है केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार को उक्त संस्थान की स्थापना एवं निर्माण अति शीघ्र कराये जाने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश निर्गत करने की कृपा करें जिससे जनहित में मूक बधिरो एव दिव्यांगजनों को राहत मिल सके।... (व्यवधान)

(xv) Regarding rejuvenation of East Coast Canal

*SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI (BALASORE): The East Coast Canal was dug by the British to transport food grains to the remote villages of Odisha and Bengal during the famine. … (*Interruptions*) The people of surrounding villages were getting benefited by transporting agricultural products, food products and other daily necessities. It has served as a lifeline of the people for many years. … (*Interruptions*) People have been using it for irrigation, agriculture, fish production and trade. During heavy rains, the rain water is drained through this canal. … (*Interruptions*) In summer, Rabi crops could be irrigated from this canal. Acknowledging its importance, the Government of India has declared it as National Waterway-5. … (*Interruptions*) As a result, people became hopeful about its rejuvenation. But gradually its condition became miserable. Out of a total of 623 km, 532 km flows in Odisha and the rest in Bengal. It passes through 8 districts of Odisha including Baleswar and Bhadrak. … (*Interruptions*) Now, the flow of water has been obstructed due to the submergence of most of its areas. Due to the inability to drain the rainwater, the farmers and cattle are facing serious problems. Due to the lack of maintenance, the canals are filled with wild grass and mud and the pipes are blocked, causing a health hazard. … (*Interruptions*) I have also been writing to the hon. Minister concerned repeatedly for its rejuvenation. Many people and organizations are also agitating. … (*Interruptions*) The people of coastal Odisha benefited when it was restored. After

---

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

restoration of this canal, grain, betel leaf, fish, coal, stone, foodstuffs and other goods could be transported at a lower cost. The road would be less crowded, the fishermen will be benefited, and drainage of flood water would be easy. … (*Interruptions*) Farmers will be benefitted from irrigation. I am appealing to the government through you to restore it soon. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: माननीय सदस्य**,** आपने उड़िया का नोटिस नहीं दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति: सारंगी जी, आपने उड़िया में बोलने का नोटिस नहीं दिया है। आपका जो पाठ है, वह अंग्रेजी में है। It is in English. इसलिए, आपका उड़िया पाठ अंग्रेजी में नहीं जा सकता। You have not given any notice regarding that. Please read it in English only.

… (*Interruptions*)

SHRI PRATAP CHANDRA SARANGI: I have given notice in Odia. हमने उड़िया का नोटिस दिया है। …(व्यवधान) मैंने नोटिस उड़िया के लिए दिया है। कल ही मैंने इसे लिखकर दिया है। …(व्यवधान) I can read it in English, but I have given notice in Odia.

(xvi) Regarding alleged irregularities in allotment of coal blocks

SHRI KOMATI REDDY VENKAT REDDY (BHONGIR): Sir, I would like to bring to your notice that the State and Central Governments are inviting tenders and following other processes for selection of Mine Developer and Operator (MDO) for allotment of coal blocks.

In this regard, I am sorry to say that the Government including the Singareni Collieries Company Ltd., in Telangana are allegedly offering various MDO without considering JVs as per Coal India norms and thereby allotting at high rates causing huge loss to Government/PSUs without following the existing guidelines/violating the terms and conditions to allegedly benefit the private companies which needs to be avoided.

Hence, I request the hon. Minister of coal, through the Chair, to kindly intervene in the matter and give necessary instructions to the concerned officials to follow due procedure in allotment of coal blocks in the interest of the nation and to protect the exchequer of the Government.

(xvii) Regarding age relaxation for recruitment in Army

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग): सभापति महोदय, भारतीय सेना में हर वर्ष लाखों युवा नौकरी के लिए आवेदन देते है और रक्षा मंत्रालय हर वर्ष 90-100 recruitment rallies के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संचालित करती है। मेरे लोक सभा क्षेत्र के युवा ARMY General Duty जिसकी आयु सीमा 17 से 21.5 वर्ष है और Tradesmen जिसके आयु सीमा 17 से 23.5 वर्ष है, के लिए आवेदन देते है। लेकिन कोरोना महामारी के कारण recruitment rallies पिछले दो वर्षों से बंद है जिसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के युवाओं की उम्र निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा हो गई है और वो भर्ती के लिए योग्य नहीं है। Air Force और Navy द्वारा भी 2021 में One time age relaxation दिया गया था, इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे युवा जो कोरोना महामारी के कारण पिछले २ वर्षों में आयु सीमा से अधिक हो गए हैं, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा 2 साल का age relaxation भारतीय सेना में इस वर्ष होने वाली भर्ती में दिया जाए, क्योंकि वर्तमान में 81000 पद सेना में रिक्त हैं और सीमाओं पर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हमें अपने सैन्य बलों में सिपाहियों की आवश्यकता है।

(xviii) Regarding increase in wages and work days under MGNREGS in Bihar

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मनरेगा में काम का दिन बढ़ाने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूँ। देश में कोरोनाकाल से मजदूरों का ग्रामीण इलाकों में जीविका का एकमात्र यही साधन रह गया है। कोरोनाकाल में तो मनरेगा में मजदूरों को सही रूप से काम मिल रहा था, किन्तु अब करीब एक वर्ष से औसतन 28-30 दिन ही काम दिया जा रहा है। इस मंहगाई में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। जो मजदूर शहरों से पलायन कर अपने गाँव की ओर चले गये उनका हाल तो और भी दयनीय है। मंहगाई के कारण ग्रामीण इलाकों में कोई और काम भी नहीं हो रहा है। निर्माण क्षेत्र ठप पड़ा है। कृषि का भी बुरा हाल है। ऊपर से केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मनरेगा की राशि में भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्यों का साल दर साल बकाया बाधित है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य देश में सर्वाधिक भूमिहीन श्रमिकों वाला राज्य है। यह संख्या करीब 88.61 लाख है। इनको मनरेगा के तहत लगातार 100 दिनों का काम गारंटी के साथ मिलना चाहिए, किन्तु वित्तीय अभाव के कारण मात्र औसतन 28 दिनों का ही काम मिल रहा है। साथ ही बिहार में मनरेगा के तहत हरियाणा की तरह ही 300 रू. से अधिक मजदूरी तय करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में मात्र 12 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 198 रू. तय था और मई, 2022 से 212 रू. मिलना प्रारम्भ हुआ है। अन्य राज्यों में केन्द्र सरकार ने 7 प्रतिशत की वृद्धि की है। बिहार सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह करती आ रही है। यह माँग अविलम्ब स्वीकार होनी चाहिए और बिहार की लम्बित राशि का भुगतान होना चाहिए, साथ ही सभी मजदूरों को 100 दिनों का काम सुनिश्चित होना चाहिए। धन्यवाद।

(xix) Regarding implementation of Bharatmala Pariyojana in Bhadrak Parliamentary Constituency

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): Sir, I am glad that the Government of India has taken initiative for the Coastal Highway under Bharatmala Pariyojana in my Parliamentary Constituency under Bhadrak and Balasore District which covers around 70 km. coastline.

The following details be kindly provided regarding the proposed project:

(a) Total project cost, project outlay and time frame of the project.

(b) Details of area covered village wise with map in Bhadrak Parliamentary Constituency in the proposed project, that is from NH-16 near Tangi of Khurda District to Digha and developed in two stretches that is Tangi-Ratanpur and Ratanpur-Digha and also areas covering Basudevpur, Dhamra and Chandipur with map.

(c) Details of plan for the land acquisition and rehabilitation concerning the project in my constituency along with present status of the project and the timeline of its commencement. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: शेष माननीय सदस्य नियम 377* का अपना नोटिस सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें।

… (व्यवधान)

---

* Treated as laid on the Table.

(xx) Regarding Corona related deaths in Bihar

श्री चन्दन सिंह (नवादा): मेरा सरकार से निवेदन है कि मुझे निम्न बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की जाये :-

1. अभी तक कोरोना संक्रमण से बिहार राज्य के कितने नागरिकों की मृत्यु हुई है, यदि इसका कोई डाटा है तो सूचित किया जाये।
2. क्या सरकार ने कोई ऐसा प्रावधान किया है जिसमे बिहार के निवासियों की यदि प्रदेश से बाहर कोरोना से मृत्यु हुई है तो उन्हें मुआवजा बिहार सरकार की ओर से दिया जायेगा?
3. यदि ऐसा नहीं है तो इन्हें जो कि सरकार द्वारा 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जानी है, कैसे मिलेगी?

(xxi) Regarding writing off bad loans

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): During the financial year from 2014-15 to 2020-21, the nationalized banks have written off bad loans to the tune of Rs.10.72 lakh crores. But the banks have not yet disclosed the details of who and how much amount has been declared as a bad loan and written off. On the one hand, banks are collecting money from the public in various ways like interests, the penalty for non-payment of interests, service charges, the penalty for not maintaining a minimum balance, ATM usage fees, and now heavy GST for cheques and high processing fees, on the other hand, banks write off lakhs of crores to some private corporates in the name of bad loans. This is cruel treatment of the citizens of this country. Concealing the names of the beneficiaries of such loan write-offs and indirect way of allegedly misappropriating public money in the name of loan write-offs to certain corporate raises various suspicion. The people of India have the legal right and the freedom to know the facts about these write-offs. The banks are forcibly taking away the hard-earned properties of low and middle-class families for not repaying their loan amount at the proper time. Crores of the farmers repeatedly knocked on the doors of the government years after year.

(xxii) Regarding Nemom Coaching/Satellite Terminal Project

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the Honourable Railway Minister's attention towards the shocking decision of the Railway Board to drop the Nemom Coaching/Satellite Terminal Project in my constituency of Thiruvananthapuram, which is imperative for the decongestion and functional extension of the Trivandrum Central Station and the development of the Kochuveli Station.

Though announced in the 2011-12 Railway Budget, the Nemom project's inclusion in the Railways' plan of work and the laying of its foundation stone by the former Hon'ble Railways Minister happened only in 2018-19. In 2019-20, a Detailed Project Report for approximately 117 crores was prepared and submitted to the Railway Board for approval. Despite several interventions within and outside Parliament, no tangible progress has been made.

Unfortunately, the recent decision to not take forward work at the Nemom terminal is uncalled-for as the memorandum for the announcement simply refers to the terminal as being "not justified" but fails to provide any reasons for dropping the project.

I, therefore, strongly urge the Government to reconsider its decision and expedite developmental work at the Nemon coaching terminal so that it can contribute to--in the words of the former Hon'ble Railway Minister at the foundation stone laying ceremony--"decongesting the already overloaded current coaching terminals".

(xxiii) Need to accord the status of classical language to Marathi

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (सतारा): मराठी भाषा को "अभिजात भाषा" घोषित करने की माँग पिछले कई सालोंसे हो रही है | मराठी अभिजात भाषा का दर्जा पाने की सभी अर्हताओं को पूरा करती है लेकिन यह मुद्दा केंद्र के संस्कृति विभाग में प्रलंबित पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा गठित Language Expert Committee ने इस बारे में अभी तक कोई निर्णय नही लिया। मेरी सरकार से विनंती है कि मराठी भाषा को अभिजात भाषा घोषित करने हेतु जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ माननीय सदस्य निरंतर प्लेकार्ड आसन के सामने दिखा रहे हैं, जो सदन की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। माननीय स्पीकर महोदय ने भी इस संबंध में आपको चेतावनी दी थी। मैं उसको दोहरा रहा हूं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : चेयर के पास कोई विकल्प नहीं होगा कि वह आपका नाम 'नेम' करे। आप कृपा करके इस चेतावनी का ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के प्लेकार्ड न दिखायें।

… (व्यवधान)

15.48 hrs

SUSPENSION OF MEMBERS FROM THE SERVICE OF THE HOUSE UNDER RULE 374(2)

माननीय सभापति : मैं नियम 374 के अंतर्गत हठपूर्वक और जानबूझकर लगातार सभा के कार्य में बाधा डालकर अध्यक्ष पीठ के प्राधिकार की उपेक्षा करने और सभा के नियमों का दुरुपयोग करने के लिए आप सभी का नाम लेता हूं **:-**

श्री बी. मणिक्कम टैगोर

श्री टी. एन. प्रथापन

सुश्री एस. जोतिमणि

कुमारी राम्या हरिदास

… (व्यवधान)

15.49 hrs

MOTION RE: SUSPENSION OF MEMBERS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): Sir, I beg to move:

> “That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri B. Manickam Tagore, Shri T. N. Prathapan, Sushri S. Jothimani and Kumari Ramya Haridas and in utter disregard to the House and the authority of the Chair, and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374 (2).” . … (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी ने सदस्यों के निलंबन हेतु जो प्रस्ताव पेश किया है, अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: The question is:

> “That this House, having taken a serious note of the misconduct of Shri B. Manickam Tagore, Shri T. N. Prathapan, Sushri S. Jothimani and Kumari Ramya Haridas and in utter disregard to the House and the authority of the Chair, and having been named by the Chair, resolve that the above-mentioned Members be suspended from the service of the House for the remainder of the Session under Rule 374 (2).”

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे कृपया सभा के परिसर से तत्काल बाहर चले जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.51 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on
Tuesday, July 26, 2022 / Sravana 04, 1944 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)